संख्या : 07 / 181 / MGNREGS / 2019–20

प्रेषक,

प्रमुख सचिव
ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषित,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास (महात्मा गांधी नरेगा) देहरादून दिनांक 19 अप्रैल, 2020

विषय : कोविड–19 दिशा निर्देशों का अनुपालन किये जाने विषयक।

महोदय,

अवगत कराना हैं कि कोविड– 19 महामारी के मद्देनजर गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के द्वारा आगामी दिनांक 20 अप्रैल 2020 से कतिपय गतिविधियों को अनुमन्य किये जाने के विषय में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। इस आदेश के बिन्दु संख्या 10 पर महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों के क्रियान्वयन के विषय में भी उल्लेख किया गया है, जिसके क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा भी दिनांक 15 अप्रैल, 2020 को जारी पत्र एवं दिनांक 17 अप्रैल, 2020 को सम्पन्न वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से निर्देश दिये गये हैं।

कृपया इन सभी दिशा निर्देशों का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि :
1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य महात्मा गांधी नरेगा, ग्राम्य विकास,उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव